न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 126 / 2024
अनवान : –

1. जगतार सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक अतर सिंह वाला तहसील भटिण्डा (पंजाब)।

– वादी

बनाम्

1. साधुसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अतरसिंह वाला तहसील भटिण्डा (पंजाब)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/3/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 69 / 22 की कुल 2.0240 हैक्ट के वादी व प्रतिवादी स0 1 के बहिब के तथा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 45 / 80 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि में से 2847 / 34160 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रतयेक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी स0 1 सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पिता ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त सम्पति का बंटवारा कर दिया है तथा मुताबिक बंटवारा के वादग्रस्त भूमि काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान का बाहमी बंटवारा किया हुआ है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 69 / 22 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 45 / 80 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि मे संयुक्त तैर से 0. 5694 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जावे, जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा शिवपुरा खाता संख्या 69/22, 45/80 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है वादी व प्रतिवादी स0 1 के पिता ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त सम्पति का बंटवारा कर दिया है तथा मुताबिक बंटवारा के वादग्रस्त भूमि काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान का बाहमी बंटवारा किया हुआ है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 69/22 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 45/80 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि मे संयुक्त तैर से 0.5694 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 69/22 की कुल 2.0240 हैक्ट के वादी व प्रतिवादी स0 1 के बहिब के तथा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 45/80 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि में से 2847/34160 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रतयेक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 69/22 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 45/80 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 0.5694 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 126 / 2024

अनवान : –

1. जगतार सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक अतर सिंह वाला तहसील भटिण्डा (पंजाब)।

– वादी

बनाम्

1. साधुसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अतरसिंह वाला तहसील भटिण्डा (पंजाब)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 126 सन 2024 निर्णय दिनांक –26/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 69 / 22 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 45 / 80 की कुल 3.4160 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 0.5694 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।ण इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested